

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अभयंता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अभयंता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषकेश के माह मई 2013 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामबीर सिंह तथा श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरि ओम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-1

परिचयात्मक: इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2013 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

क्रयाकलाप:- अधीनस्थ खंडों के अंतर्गत निर्माण कार्यों का निरीक्षण/अनुश्रवण एवं प्रशासनिक नियंत्रण किया जाना।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- अवस्थापना (पुनर्वास) खंड नई टिहरी, ऋषकेश एवं पी.एम.जी.एस.वाई. संचाई खंड चन्यंलीसौंड से संबन्धित समस्त क्षेत्र।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:


(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ ध क्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	--	--	10044871	9154839	--	--	--	890032
2014-15	--	--	11363000	10503031	--	--	--	859969
2015-16	--	--	11423000	10814584	--	--	--	608416
2016-17	--	--	11965500	10658778	--	--	--	1306722
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	--	--	11672500	9053859	--	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	आ धक्य	बचत
2014-15	शून्य					
2015-16						
2016-17						
2017-18						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है।



- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋ षकेश के माह मई 2013 से दिसम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यों को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋ षकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अगस्त 2016 एवं अप्रैल 2014 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया तथा का चयन वस्तुतः वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन के आधार पर कया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह जनवरी 2018 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	` शून्य
(ख)	सामग्री क्रय	` शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` शून्य
(ङ)	भण्डार	` शून्य

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1: भूम की उपलब्धता सुनिश्चित कये बिना टिहरी बांध वस्था पत्तों को 30.85 हैक्टेयर भूम का अधिक आवंटन ।

सामान्यतः भू-वक्रय व भू-आवंटन का अधिकारी भू-स्वामत्व के अधिकार की अवधारणा के अन्तर्गत निहित है।

अधीक्षण अभयन्ता, अवस्थापना मण्डल (पुनर्वास) ऋषकेश के अभलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क उत्तर प्रदेश संचाई वभाग के उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी द्वारा टी.एच.डी.सी. को शवालक नगर पुनर्वास स्थल हेतु वर्ष 1986-87 में 86.00 एकड़ भूम उपलब्ध करायी थी। यह भूम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 99 वर्षों के लए पट्टे पर आवंटित की गयी थी जिसे अक्टूबर 2004 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा असंक्रमणीय भूमधर (Non 2-a) से संक्रमणीय भूमधर (2-a) की श्रेणी में परिवर्तन कर टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास हेतु परिवर्तन के आदेश पारित कये थे। शवालक नगर के उक्त 86 एकड़ क्षेत्रफल के पुनर्वास स्थल के अतिरिक्त, पुनर्वास निदेशालय द्वारा वर्ष 2008-09 में 10.54 एकड़ (9.50 एकड़ कृष भूखण्ड व 1.04 एकड़ आवासीय भू-खण्ड), वर्ष 2010-11 में बिना स्वीकृत मान चत्र के लाटरी द्वारा 9.54 एकड़ (8.50 एकड़ कृष भू-खण्ड व 1.04 एकड़ आवासीय भू-खण्ड), वर्ष 2012-13 में बिना स्वीकृत मान चत्र के 5.04 एकड़ (4.50 एकड़ कृष भू-खण्ड व 0.54 एकड़ आवासीय भू-खण्ड) भूम टिहरी बांध वस्था पत्तों को आवंटित की गयी थी जिस पर कब्जा दिया जाना शेष था। 1.73 एकड़ अतिरिक्त भूम (प्राप्त भूम 86 एकड़ एवं आवंटित भूम 87.73 एकड़ का अन्तर) वस्था पत्तों को भूमधरी अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप थी क्योंकि भूमधरी अधिकार राजस्व वभाग, हरिद्वार द्वारा प्रदान कये गये थे। इस प्रकार, निदेशालय द्वारा कुल उपलब्ध भूम 86 एकड़ के सापेक्ष 116.85 एकड़ भूम वस्था पत्तों को आवंटित की गयी थी जिसके फलस्वरूप आवंटित व्यक्तियों को भूमधरी अधिकार नहीं दिये जा सके थे।

उक्त के संबंध में इंगत कये जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क अधिक भूम आवंटन से संबंधित प्रस्तर स्वीकृति हेतु शासन को भेजे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि उपलब्ध भूम से अधिक का आवंटन न्यायोचत नहीं है। जहां तक शासन से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न है, स्वीकृति आवंटन के पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान के लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्र०सं०	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं०/वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
शून्य			

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record.

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभयंता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य
3. सतत् अनियमितताएं: शून्य
4. लेखापरीक्षा अवध में निम्नलिखित अधशासी अभयन्ताओं द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं० नाम पदनाम

1. श्री आर.आर. भट्ट अधीक्षण अभयन्ता दिनांक 01/06/2010 से 31/08/2016 तक
2. श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय अधीक्षण अभयन्ता दिनांक 31/08/2016 (A/N) से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अधीक्षण अभयंता, संचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषकेश को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2